

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं033(1)चिस्वा / 2 / 2019 / आई.डी.1812

जयपुर,दिनांक: 28/06/19

निदेशक(जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जयपुर।

28 JUN 2019

D.M. & H.S.(P.H.)

Address (can)

विषय:-राजस्थान राज्य के आईएमए की 26वीं एवं अखिल राजस्थान चिकित्सक सेवारत संघ की प्रथम अधिकारिक कॉन्फ्रेन्स में भाग लेने हेतु अनुमति बांबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान राज्य के आईएमए की 26वीं एवं अखिल राजस्थान चिकित्सक सेवारत संघ की प्रथम अधिकारिक कॉन्फ्रेन्स दिनांक 29.06.19 व 30.06.19 (02 दिवस) की अनुमति दी जाती है एवं उक्त कॉन्फ्रेन्स में सम्मिलित होने वाले चिकित्सकों की उक्त अवधि को राजस्थान सेवा नियम- 1951 के नियम 7(8)(बी)(1) के अन्तर्गत कर्तव्य पर माना जावेगा।

भवदीय,

शासन-रूप सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक राजपत्रित/सामान्य/2019/349/28/06/19

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी।
- 2 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट एवं सम्बन्धित अधिकारियों की ईमेल आईडी पर भी पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
- 3 रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।